5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

55

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर, केम्प उज्जैन

प्र. क्रमांक /

PBR/निगरानी/नीमच/भू.रा/2018/0664

1– शकुन्तला पत्नि हेमसिंह जी पिता मुरलीसिंह जी जाति राजपूत, उम्र 75 वर्ष निवासी दर्जी पाड़ा जैसलमेर

2– राजेन्द्रसिंह पिता/दत्तक पुत्र मुरलीसिंह जी जाति राजपूत, निवासी दर्जी पाड़ा जैसलमेर राजस्थान ––– आवेदकगण

प्रार्थी आवेदक श्री किरण जुनेजा
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 23-12-2017 23.12.17
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

विरूद्ध

1–शम्भुसिंह परिहार पिता मंगलसिंह जी राजपूत निवासी सरदार मोहल्ला नीमच सिटी

2–खुमानसिंह परिहार पिता मंगलसिंह जी राजपूत निवासी सरदार मोहल्ला नीमच सिटी जिला नीमच

3–श्रीमती रेखा दक पति डॉ रमेश दक निवासी विकास नगर 14/3, नीमच जिला नीमच –––––– अनावेदकगण

कैम्प उज्जैन पर प्राप्त 17-1-18

पुनरीक्षण आवेदन अंतर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता 1959

माननीय महोदय,

सेवा में आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण आवेदन अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय उज्जैन, सम्भाग उज्जैन द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20–04–2015 के क्रमांक 645/अपील/2011–12 से असंतुष्ट होकर श्रीमान के न्यायालय में निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/नीमच/भू.रा./2018/0664

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
19-6-2018	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 20-4-2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 23-2-2017 को लगभग डेड़ वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । आवेदकगण द्वारा विलम्ब क्षमा हेतु प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब के सम्बन्ध में दर्शाये गये आधार समाधानकारक नहीं हैं अत: विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य नहीं है । 1992 आर.एन. 289 लंगरी (श्रीमती) तथा अन्य विरूद्ध छोटा तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:- "धारा 5-व्याप्ति-अधिकारिता की प्रकृति-वैवेकिक है-पक्षकार विलम्ब माफी के लिए अधिकार के रूप में हकदार नहीं है-पर्याप्त कारण का सबूत-अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए पुरोभाव्य शर्त है-न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कालावधि नहीं बढ़ा सकता ।" माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में यह निगरानी प्रथम दृष्टया समय बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	